FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर **मुकाम** बाप (फलोदी)

[illegible] **बनाम** [illegible]

केस मुंकदमा 212 आर.टी.एक्ट **मु.नं.** 99 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/2025	राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील विरूद्व अप्रार्थीगण के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बहस पर मनन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया अपूर्णनीय क्षति का प्रतीत होता है अतः ग्राम सिन्धीपुरा के तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 157/3 रकबा 27–3243 है0 भूमि में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण नहीं करें तथा संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित ABCD भाग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें तथा न ही किसी अन्य से करावें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि वकील प्रार्थी द्वारा जबाव पेश होने पर बहस हेतु एक से अधिक बार समय मांगने पर स्थगन आदेश स्वत ही निरस्त समझा जावे। अधिवक्ता प्रार्थी, अप्रार्थीगण की तलबी रजि. एडि से करवाकर रसीदें तीन दिवस में पेश करें। पत्रावली दिनांक 30/05/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)	
30/5/25	आज श्रीमान् ए सी.एम. / एस.डी.एम साहब दौरे / अवकाश पर हैं। पेशी इल्तवा की जाकर पत्रावली तारीख 02/7/25 को पेश हो।	
02/7/25	आज श्रीमान् ए सी.एम. / एस.डी.एम साहब दौरे / अवकाश पर हैं। पेशी इल्तवा की जाकर पत्रावली तारीख 04/8/25 को पेश हो।	
07/2025	वकील प्रार्थी के मिसल तलबी के प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली तलब होकर आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की तलबी हेतु भेजे गए नोटिस [illegible] की रसीद मूल रूप में पेश की। पत्रावली [illegible] इंतजार तलबी दिनांक 26/08/25 को पेश हो [signature]	
26/08/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उक्त मूल मिसल जारी किये [illegible] खारिज हो जाने से स्थगन प्रार्थना-पत्र को आगे चलाना उचित नहीं है इसलिए स्थगन प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।	

पत्रावली फैसला शुमार हो। नम्बर से कम की जाकर दाखिल रिकार्ड की जावे।

[signature] 26/8/15

(सुखाराम पिण्डेल, RAS)